राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 52/06–07

विषयः– श्री अब्दुल हादी, ग्राम+पोस्ट–इन्दहरवा, भाया–परिहार, जिला–सीतामढ़ी का प्राप्त आवेदन–पत्र।

10.11.2006 अपीलकर्त्ता ने निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया है। उन्हें शुल्क जमा करने को कहा जाए इस बीच आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को भेजा जाए तथा दिनांक–02.12.06 तक प्रतिवेदन की मांग की जाए। सुनवाई हेतु दिनांक–05.12.06 को 11.00 बजे प्रातः रखा जाए। आवेदक को भी सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

05.12.2006 दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 05.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने आयोग को वांछित प्रतिवेदन नहीं भेजा है, जबकि आयोग के पत्रांक–88, दिनांक 06.12.06 के द्वारा स्मारित भी किया गया था। ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः स्मारित किया जाय एवं कारणपृच्छा की मांग की जाय कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20 (1) के तहत कार्रवाई प्रारम्भ की जाय।

सुनवाई के लिए पुनः दिनांक 31.01.07 को प्रातः 10.30 बजे रखी जाय।

(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

17.01.2007 जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी का प्रतिवेदन आयोग कार्यालय में दिनांक– 05.01.07 को ही आ चुका था। ऐसी स्थिति में दिनांक– 08.01.07 को सुनवाई के समय इसे अभिलेख में उपलब्ध कराना चाहिए था। चूँकि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

सुनवाई के लिए दिनांक– 31.01.07 को रखें। सभी सम्बन्धित को सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

31.01.2007 वादी और जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी जिनका प्रतिवेदन प्राप्त है, की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हैं। अतः आयोग एक अन्तिम समय देते हुए दिनांक 19.02.2007 को 10.30 बजे पूर्वाहन निर्धारित की जाती है। दोनो को सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

19.02.2007 वादी उपस्थित नहीं हैं । जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी उपस्थित हैं । आयोग में उनका प्रतिवेदन प्राप्त है । उनका कहना है कि तीनों वांछित सूचनाएँ वादी को दे दी गई है। इस स्थिति में वाद को समाप्त किया जाता है ।

(पी0एन0 नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त